सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 26/2019

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र मालासिंह जाति रायसिख निवासी सर्कज नहर कोठा ढाणी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. माला सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिख निवासी सर्कज नहर कोठा ढाणी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार राजस्व, हिन्दुमलकोट

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट का आदेश दिनांक 22.02.2019 का मुकदमा अनवान सरकार बनाम जसविन्द्र सिंह मुकदमा नम्बर 02/2019 जिसकी रूह से धारा 22 राजस्थान उप0 अधि0 के तहत ताबान कायम करके बेदखली का आदेश पारित किया गया बामुराद मन्सुख है।

उपस्थित :

1.श्री ओ.पी. बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री हरवीर सिंह बराड राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 28.05.2019**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1 का परदादा सौदागर सिंह पुत्र अमीर सिंह के पास सर्कज नहर कोठा में 25 बीघा बारानी रकबा राज से करीबन 50 वर्षो से टी.सी. पर चला आ रहा था। सौदागर सिंह के देहान्त के बाद अपीलान्ट के पिता ने उपरोक्त रकबा को पुख्ता अलॉटमेन्ट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसी बीच में 12 बीघा रकबा गुरदेवकौर को अलॉट कर दिया गया तथा 12 बीघा रकबा कश्मीर सिंह को अलॉट कर दिया गया। जिसके खिलाफ अपीलांट के पिता ने राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की। राजस्व अपील अधिकारी ने अपील स्वीकार करके कश्मीर सिंह का रकबा खारिज कर दिया। शुरू से लेकर आज तक इस जमीन का कब्जा अपीलांट के पिता जगतार सिह के पास था। अब वर्तमान में कब्जा अपीलान्ट के पास है। पूर्व में यही रकबा अपीलांट को 500/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से मिलता आ रहा है जिसकी अपीलांट राशि जमा करवा रहा है। अपीलांट द्वारा मौके पर चक सर्कज नहर कोठा में मु.न. 4 में किला नम्बर 18 में 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 19 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 22 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 2 में 0.240 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 5 में किला नम्बर 2 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 3 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 8 में 0.215 हैक्टर, किला नम्बर 9 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 12 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 13 में 0.202 हैक्टर, किला नम्बर 18 में 0.173 हैक्टर, किला नम्बर 23 में 0.164 हैक्टर, कुल 1.75 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 4 में किला नम्बर 13/2 में ढाणी बनी हुई है जिसका कब्जा अपीलान्ट के पास 50 वर्षो से चला आ रहा है। अपीलान्ट के पास केवल यही भूमि है और अन्य कोई भूमि नहीं है। तहसीलदार

28/5/19
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया जिस पर अपीलान्ट ने तमाम सबूत पेश किये व जवाब नोटिस दिया। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि रकबा का कब्जा हमारे पास 50 वर्षो से चला आ रहा है। हमारे द्वारा पुख्ता अलॉटमेंट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो उपखण्ड अधिकारी के पास विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बाद अपीलांट को कोई तारीख पेशी नहीं दी गई तथा अपीलांट के खिलाफ यकतरफा आदेश 22.02.2019 को पारित किया गया तथा अपीलान्ट को 50 गुणा ताबान व अपीलान्ट की फसल कुर्क करने का आदेश दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को 24.04.2019 को हुई जब अपीलांट की फसल कुर्क करने लगे। पता चलते ही अपीलांट ने नकल दरख्वास्त दी। नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है। अपीलान्ट संख्या 01 का परदादा सौदागर सिंह पुत्र श्री अमीर सिंह के पास सर्कज नहर कोठा में 25 बीघा बारानी रकबा आज से करीबन 50 वर्षो से टी.सी. पर चला आ रहा था। सौदागर सिंह के देहान्त के बाद अपीलान्ट के पिता ने उपरोक्त रकबा को पुख्ता अलॉटमेंट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसी बीच में 12 बीघा रकबा गुरदेव कौर को अलॉट कर दिया गया तथा 12 बीघा रकबा कश्मीर सिंह को अलॉट कर दिया गया जिसके खिलाफ अपीलांट ने अपील पेश की जिसमें रकबा कश्मीर सिंह के नाम से खारिज कर दिया गया तथा अपीलांट ने उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष अपने नाम रकबा आवंटन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो अब भी विचाराधीन है। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये गये थे मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर ना करके कानूनी भूल की है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को राज0 उप0 अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जिसका जवाब तथा तमाम सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे। अपीलान्ट द्वारा सबूत प्रस्तुत करने के बाद अपीलान्ट को कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। इसी बीच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली तारीख पेशी में लेकर अपने निर्णय में अंकित किया की अप्रार्थी के खिलाफ यकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अप्रार्थी को अतिकृमी घोषित किया जाता है तथा बिना सुने ही व बिना रिकॉर्ड देखे ही आदेश पारित किया, जो विरूद्व कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलान्ट का परिवार उपरोक्त भूमि पर 50 वर्षो से लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है जिसे कानूनन बेदखल नहीं किया जा सकता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष मौजुद था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर बेदखली का आदेश पारित किया है। विवादग्रस्त भूमि पर राज0 उप0 अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान लागु नही होते बल्कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा सकती थी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 की कार्यवाही ना करके धारा 22 के तहत कार्यवाही की है, जो कानूनन गलत है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिनांक 22.02.2019 का पारित किया है, वह अपीलान्ट के विरूद्व यकतरफा तौर पर किया है, इसलिये आदेश की अपीलान्ट को जानकारी नहीं हुई। सर्वप्रथम आदेश की जानकारी तब हुई जब तहसीलदार द्वारा इस जमीन का कब्जा लेने की कार्यवाही करने लगा, तो अपीलान्ट को पता चला, पता चलते ही अपीलान्ट ने दिनांक 24.04.2019 को नकल की दरख्वास्त दी तथा नकल 25.04.2019 को प्राप्त हुई तथा 26.04.2019 को अपील करने के लिये रूपयों की व्यवस्था की दिनांक 27 व

28/8/19

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

28.04.2019 को अवकाश होने के कारण अपील पेश नहीं हो सकी। इसलिये आज रोज अपील पेश कर रहे है, जो ईलम से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.02.2019 को निरस्त किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि मेरे परदादा सौदागर सिंह पुत्र अमीर सिंह के पास सर्कज नहर कोठा में 25 बीघा बारानी रकबा राज से करीबन 50 वर्षो से टी.सी. पर चला आ रहा था। सौदागर सिंह के देहान्त के बाद अपीलान्ट के पिता ने उपरोक्त रकबा को पुख्ता अलॉटमेन्ट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसी बीच में 12 बीघा रकबा गुरदेवकौर को अलॉट कर दिया गया तथा 12 बीघा रकबा कश्मीर सिंह को अलॉट कर दिया गया। जिसके खिलाफ अपीलांट के पिता ने राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की। राजस्व अपील अधिकारी ने अपील स्वीकार करके कश्मीर सिंह का रकबा खारिज कर दिया। अपीलांट ने उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष अपने नाम रकबा आवंटन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो अब भी विचाराधीन है। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये गये थे मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर ना करके कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को राज0 उप0 अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जिसका जवाब तथा तमाम सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे। अपीलान्ट द्वारा सबूत प्रस्तुत करने के बाद अपीलान्ट को कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। इसी बीच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली तारीख पेशी में लेकर अपने निर्णय में अंकित किया की अप्रार्थी के खिलाफ यकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अप्रार्थी को अतिकृमी घोषित किया जाता है तथा बिना सुने ही व बिना रिकॉर्ड देखे ही आदेश पारित किया। अपीलान्ट का परिवार उपरोक्त भूमि पर 50 वर्षो से लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है जिसे कानूनन बेदखल नहीं किया जा सकता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष मौजुद था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर बेदखली का आदेश पारित किया है। विवादग्रस्त भूमि पर राज0 उप0 अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान लागु नही होते बल्कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा सकती थी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 की कार्यवाही ना करके धारा 22 के तहत कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट का निर्णय दिनांक 22.02.2019 सही है। अपील चलने योग्य नही है जब तावान एवं जुर्माना हो गया है तो अपील चलाने का अब क्या औचित्य है। वर्तमान में भूमि राजकीय है। उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उप तहसील हिन्दुमलकोट के चक शरकज नहर कोठा के मु.न. 4 में किला नम्बर 18 में 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 19 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 22 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 2 में 0.240 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 5 में किला नम्बर 2 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 3 में 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 8 में 0.215

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

हैक्टर, किला नम्बर 9 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 12 में 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 13 में 0.202 हैक्टर, किला नम्बर 18 में 0.173 हैक्टर, किला नम्बर 23 में 0.164 हैक्टर, कुल 1.781 हैक्टर बारानी भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा के तहत उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2019 विधि सम्मत् प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2019 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर